भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 5374**
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

## कर्नाटक में मेगा फूड पार्कों की स्थापना

**5374. कैप्टन बृजेश चौटा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या सरकार की कर्नाटक में नए मेगा फूड पार्कों की स्थापना के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ख)** क्या दक्षिण कन्नड़ और कर्नाटक में सीफूड और नारियल प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन के लिए ये उद्योग पात्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ग)** क्या सरकार कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में वहां के कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शीतागारों और खाद्य निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(घ)** सरकार द्वारा कर्नाटक में मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ किसान उत्पादक संगठनों(एफपीओ) को एकीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमएसकेवाई) की एक घटक योजना मेगा फूड पार्क योजना (एमएफपीएस) को लागू कर रहा है। चूंकि मंत्रालय स्वयं ऐसी परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है, इसलिए यह योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से इच्छुक संस्थाओं/संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। मेगा फूड पार्क योजनाओं के तहत राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है । मेगा फूड पार्क योजना के तहत मंत्रालय ने पहले ही कर्नाटक राज्य में 2 एमएफपी को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक राज्य में स्वीकृत मेगा फूड पार्कों की स्थिति के साथ विवरण **अनुबंध** में है। कर्नाटक राज्य में नए मेगा फूड पार्क स्थापित करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ 01.04.2021 से मेगा फूड पार्क योजना को बंद कर दिया गया है।

**(ख) से (घ):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017-18 से पूरे देश में "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना का लक्ष्य देश में खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके उद्देश्य को प्राप्त करना है। पीएमकेएसवाई में 5 चालू घटक योजनाएं हैं जैसे कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी), एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (आईसीसी), खाद्य प्रसंस्करण और परिक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार

(सीईएफपीपीसी), ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन (एफटीएल योजना) देश में खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। कोल्ड चेन, एपीसी, सीईएफपीपीसी और ओजी नामक घटक योजनाओं के अंतर्गत, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों आदि जैसे कठिन क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाती हैं: -

- आवेदक की संयुक्त निवल संपत्ति सामान्य क्षेत्रों में यह 1.5 गुना की तुलना में चिह्नित कठिन क्षेत्रों में मांगी गई अनुदान सहायता के बराबर होनी चाहिए।
- बैंक से सावधि ऋण की धनराशि सामान्य क्षेत्रों में 20% के मुकाबले कुल परियोजना लागत का 10% से कम नहीं होगी।
- सामान्य क्षेत्रों में 20% के मुकाबले कुल परियोजना लागत का कम से कम 10% इक्विटी निवेश किया जाएगा।
- न्यूनतम पात्र परियोजना लागत 1.00 (एक) करोड़ रुपये होगी जबकि सामान्य क्षेत्रों में यह 3.00 करोड़ रुपये है ।
- सीईएफपीपीसी स्कीम के मामले में अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये, एपीसी और कोल्ड चेन स्कीम के मामले में 10.00 करोड़ रुपये और ओजी स्कीम के मामले में 15.00 करोड़ रुपये तक की सीमा के अध्यधीन सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 35% की दर के मुकाबले पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अनुदान सहायता।

पीएमकेएसवाई के तहत सभी घटक योजनाएं मांग आधारित प्रकृति की हैं और योजना के तहत प्रस्ताव अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। यह योजना राज्य/क्षेत्र विशेष या उत्पाद विशेष नहीं है। मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके दूरदराज या अविकसित क्षेत्रों सहित देश भर में समय-समय पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। छोटे किसानों सहित व्यक्ति और एफपीओ/एफपीसी/एनजीओ/पीएसयू/फर्म/कंपनियां इत्यादि जैसी संस्थाएं/संगठन इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की संवर्धनात्मक गतिविधियों की योजना के तहत, मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं पर छोटे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे वर्ष देश भर में सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

*****

**अनुबंध**

**दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु कर्नाटक में मेगा फूड पार्कों की स्थापना के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5374 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

| एसपीवी/आईए नाम | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | जिले का नाम | अंतिम अनुमोदन की तिथि | कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में) | स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में) | जारी अनुदान (करोड़ रुपये में) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इंटीग्रेटेड फूड पार्क लिमिटेड | कर्नाटक | तुमकुर | 29-मार्च-2011 | 144.33 | 48.72 | 48.72 | प्रचालनरत |
| फेवोरिच इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड | कर्नाटक | मंड्या | 19-दिसंबर-2017 | 113.83 | 50 | 37.57 | कार्यान्वयन के अंतर्गत |

*****